महत्वपूर्ण एवं खास

नाबालिग बालिका से दुष्कर्म, आरोपी युवक व उसके परिजनों पर हुई कार्यवाही

न्याय साक्षी/रायगढ़। नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में पुलिस ने आरोपी युवक व उसके पति के खिलाफ जुर्म पंजीबद्ध कर लिया है। घटना कापू थाना क्षेत्र की है। मिली जानकारी के मुताबिक थाना कापू में आज 16 वर्षीय बालिका रिपोर्ट दर्ज करायी कि 01 जून को सीतापुर का युवक बहला फुसलाकर अपने प्रेम में फंसाकर उसे घर से शादी करने का लालच देकर अपने घर ले गया और दुष्कर्म कर तीन दिनों के बाद घर से निकाल दिया। पीडिता बतायी कि युवक के माता-पिता नाबालिग जानते हुए 03 दिन अपने घर में अपने बेटे के साथ रखकर सहयोग किये । इन तीन दिनों में युवक ने शारीरिक शोषण किया, उसके बाद 03 जून को घर से निकाल दिये । तब अपने घर आ गई माता पिता के पूछने पर उन्हें घटना बतायी, लोकलाज के डर से चुप थी और आज युवक के विरूद्ध थाना कापू में रिपोर्ट दर्ज करायी है । रिपोर्ट पर युवक एवं उसके माता पिता के विरूद्ध धारा 376, 109 , 4,6, 17 पास्को एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।

दहेज प्रताड़ना मामले में पति सहित 4 पर जुर्म दर्ज

न्याय साक्षी/रायगढ़। दहेज प्रताड़ना के मामले में पीड़िता की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी पति सहित सास ससुर और ननंद पर जुर्म पंजीबद्ध कर लिया है। घटना बरमकेला थाना क्षेत्र की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम अमोदा थाना बरमकेला में रहने वाली गुलापी डनसेना पिता शिव लाल डनसेना ने आज थाना पुसौर में अपने पति एवं ससुरालवालों के विरूद्ध प्रताड़ना की रिपोर्ट दर्ज करायी है । पीडिता ने बताया कि लगभग 04 वर्ष पूर्व मेरा विवाह सामाजिक रिती रिवाज से ग्राम देवलसुर्रा के कैलाश डनसेना के साथ हुआ था विवाह में मेरे पिता के द्वारा अपनी हैसियत के मुताबीक दहेज में टी0व्ही0, फ्रिज, वाशिग मशीन, आलमारी, पलंग सेट, सोफा सेट, कुलर व किचन के सामान के साथ ही सोना चांदी के जेवरात एवं अन्य सामान दिये थे ससुराल पक्ष के द्वारा किसी प्रकार का सामानो के संबंध में आपत्ति नही की गई थी विवाह उपरांत ससुराल में पति, सास दमयंती, ससुर दयानिधी, ननंद उर्मिला के द्वारा दहेज में मोटर सायकल व नगदी रकम 04 लाख लाई होती तो सभी काम हो जाते तुम्हारी वजह से परेशानी हो रही है तथा 04 वर्ष हो गये तुम्हे बच्चा भी नही हो रहा है कहकर तरह तरह से प्रताडित करते थे । पीडिता अपना ईलाज कराने को कहती तो जडी-बुटी ईलाज कराते और कहते कि संतान नहीं होने पर पति की दूसरी शादी कर देंगे । पीडिता के आवेदन पत्र पर उसकी सास दमयंती डनसेना, ससुर दयानिधी डनसेना, ननंद उर्मिला डनसेना, डेढ सास हेमलता डनसेना, पति कैलाश डनसेना के विरूद्ध आज दिनांक को धारा 498(ए) पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

54 दिनों बाद खुले प्रदेश के सभी स्कूल, लौटी रौनक

» नये गणवेश के साथ स्कूल पहुंचे बच्चों में दिखा भारी उत्साह

रायपुर (आरएनएस)। गरमी की लंबी छुट्टियों के बाद आज से छत्तीसगढ़ राज्य के सभी शासकीय व निजी स्कूल खुल गए। इसी के साथ स्कूलों में फिर से रौनक लौट आई। लंबी छूट्टी के बाद एक ओर जहां नये गणेवश के साथ नयी कक्षा में स्कूल पहुंचे बच्चों में भारी उत्साह दिखा वहीं स्कूल के दोस्तों से मिलकर वे एक-दूसरे से गर्मी की छुट्टियों को किस तरह से एन्जाय किया इसके बारे में बताकर खुशियां बांटी।

दहेज प्रताड़ना से फिर एक नवविवाहिता ने दी जान

न्याय साक्षी/रायगढ़। दहेज प्रताड़ना से तंग आकर एक और नवविवाहिता ने मौत को गले लगा लिया। घटना लैलूंगा थाना क्षेत्र की है। पुलिस ने इस मामले में जांच उपरांत मृतका के पति के खिलाफ जुर्म पंजीबद्ध कर लिया है।

मिली जानकारी के अनुसार कल थाना लैलूंगा में जगतराम साहू पिता सदाई राम साहू उम्र 59 वर्ष निवासी मोहनपुर ने मृतिका बसंती साहू पति अजय साहू उम्र 24 वर्ष सा0 मोहनपुर के द्वारा तालाब के मेड में महुआ पेड में चुन्नी से फांसी लगाकर फौत हो जाने संबंधी मर्ग इंटिमेशन दर्ज कराया जिस पर मर्ग दर्ज किया गया था। मृतिका नवविवाहिता होने से मर्ग पंचनामा कार्यवाही कार्यपालिक दंडाधिकारी लैलूंगा द्वारा किया गया। मर्ग जांच में नवविवाहिता द्वारा दहेज की मांग को लेकर उसके पति द्वारा विवाद लडाई झगडा करने से फांसी लगाकर आत्महत्या करना तथा पीएम रिपोर्ट में मृतिका की मौत फांसी लगाने एवं दम घुटने से होना पाये जाने पर मृतिका के पति आरोपी अजय साहू पिता धरम सिंह साहू निवासी मोहनपुर थाना लैलूंगा के विरूद्ध कल धारा 304 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

तालाब में डूबने से 8 वर्षीय बालक की मौत

» पुसौर क्षेत्र के तेलीपाली गांव की घटना

» शादी कार्यक्रम में शामिल होने अपने माता पिता के साथ तेलीपाली आया था मासूम

न्याय साक्षी/रायगढ़। तालाब में नहाने गए एक 8 वर्षीयय बालक की डूब जाने से मौत हो गई। बालक के डूबने की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। घटना पुसौर क्षेत्र के तेलीपाली गांव की है। इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार भूपदेवपुर थाना क्षेत्र के रक्शापाली में रहने वाला 8 वर्षीय बालक मनोज चौहान अपने माता पिता के साथ ग्राम तेलीपाली में शादी कार्यक्रम में शामिल होने आया था और आज सुबह मनोज अपने हम उम्र के बच्चों के साथ पास ही स्थित एक तालाब में नहाने गया हुआ था। नहाते समय अचानक मनोज पानी में डूबने लगा तो उसके साथ गए बच्चों ने शोर मचा दिया। जिसके बाद वहां मौजूद लोगों ने तत्काल डायल 112 को सूचना दिया घटना की सूचना मिलते ही डायल 112 की मौके पर पहुंची और बालक को तत्काल पुसौर अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने जांच उपरांत बच्चे को मृत घोषित कर दिया।

किराना दुकान में शटर का ताला तोड़कर चोरी

न्याय साक्षी/रायगढ़। पुत्रीशाला रोड खरसिया स्थित किराना की दुकान से बीती रात अज्ञात चोर शटर का ताला तोड़कर लगभग 15 से 20000 का सामान एवं नकदी चुरा कर ले गए। दुकान मालिक की रिपोर्ट पर पुलिस ने अज्ञात चोर के खिलाफ मामला पंजीबद्ध करके विवेचना शुरू कर दी है।

खरसिया क्षेत्र में चोरियों का सिलसिला पुलिस के रोके नहीं रुक रहा है। बीती रात्रि अज्ञात चोरों ने पुत्री सागर रोड में दो दुकानों में धावा बोला जिसमें से एक दुकान के मालिक ने चोरी की रिपोर्ट खरसिया पुलिस चौकी में दर्ज कराई है प्राप्त जानकारी के मुताबिक विनोद कुमार अग्रवाल पिता स्वर्गीय रामनिवास अग्रवाल का पुत्री शाला रोड में बाबा पान मसाला के नाम से किराना स्टोर है। हमेशा की तरह वह 22 जून की रात्रि में अपनी दुकान बंद करके घर चला गया था। सुबह पता चला कि उसके शटर का ताला टूटा हुआ है तो उसने पुलिस को इसकी सूचना दी। दुकान के अंदर जाकर देखा तो पता चला कि गले से नकदी चिल्लर रकम गायब है वही सिगरेट, राजश्री, पान बहार आदि पाउच भी बड़ी संख्या में गायब है। तब उसे यह समझते देर नहीं लगी कि 22 एवं 23 जून की दरमियानी रात्रि उसकी दुकान में किसी ने चोरी कर ली है। विनोद कुमार अग्रवाल पिता स्वर्गीय रामनिवास अग्रवाल की रिपोर्ट पर चौकी पुलिस ने इस मामले में अपराध पंजीबद्ध कर के मामले की विवेचना शुरू कर दी है। वही बताया जाता है कि कुछ दूरी पर स्थित बिस्कुट एवं बैटरी की दुकान में भी चोरों ने धावा बोला था लेकिन वहां से क्या चोरी हुआ इसका पता नहीं चल पाया है ना ही दुकान मालिक ने इसकी सूचना खरसिया पुलिस चौकी में दर्ज कराई है।

स्थानीय लोगो को रोजगार मुहैया हो इसके लिए हरसंभव प्रयास होगा -चक्रधर सिंह सिदार

» ट्रेलर मालिकों ने लैलूंगा विधायक को सौंपा ज्ञापन

न्याय साक्षी/रायगढ़। केलो कोयलांचल ओद्योगिक क्षेत्र तमनार के स्थानीय ट्रेलर वाहन मालिकों के शोषण के विरूद्ध कार्यवाही एवं स्थानीय कोल परिवहन रोजगार की समस्या निदान हेतु लैलूंगा विधायक चक्रधर सिंह सिदार को ज्ञापन सौंपा गया है। विधायक चक्रधर सिंह सिदार ने स्थानीय ट्रेलर मालिको की मांगो का समर्थन करते समस्या का अविलम्भ निराकरण करने का भरोसा देते कहा कि स्थानीय लोगो को रोजगार मुहैया हो इसके लिए हरसंभव प्रयास किया जाएगा। स्थानीय ट्रेलर संघ की 5 मांगें जिसमे गाड़ी का वर्तमान भाड़ा बढ़ाया जाए। गारे पेलमा में यूनियन भाड़ा लागू किया जाए।कोयला परिवहन में स्थानीय कोयला ट्रांसपोर्टरों को काम दिया जाए।माइंस में गाड़ी पार्किंग की समुचित व्यवस्था हो रोड़ प्रदूषण की सख्तिपूर्वक निदान हो।स्थानीय ट्रेलर वाहन मालिकों के शोषण समस्याओ का कोल कंपनी,शासन प्रशासन द्वारा आज तक निदान नही किया गया है। जिससे स्थानीय ट्रेलर मालिको की स्थिति दिनबदिन दयनीय होती जा रही है।ऋण लोन में लिये वाहनों की कर्ज बढ़ते जा रहा है। परिवार का पालन पोषण मुश्किल होते जा रहा है।एसडीएम घरघोड़ा,एसपी रायगढ़ एवं तहसीलदार तमनार को ज्ञापन दिया गया है।

SJU - Contact No. +91 9301915303 E-mail ID- sjunion29@gmail.com

Social Justice Union

Registered with Govt. No. 5526

Join SJU

अधिकार से न्याय तक

आवश्यकता

उद्देश्य एवं नियुक्तियां

मुख्य बिन्दु

प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जावेगी।

पीड़ित संपर्क करें

संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

अन्य बिन्दु

पढ़िए .... न्यायसाक्षी समाचार-पत्र

:: Address :: Behind Stadium Near Career School, Raigarh, C.G. Pin 496001

www.nyaysakshi.com

सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।

Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU

CAREER HINDI & ENGLISH MEDIUM SCHOOL

CAREER SCHOOL

स्थापना दिनांक 1 जुलाई 1996

पिछले 22 वर्षो से लगातार बच्चों के साथ...

ADMISSION OPEN

ENGLISH MEDIUM

For Nuresery to 10th

Topper Students Last Session

Topper Students Last Session

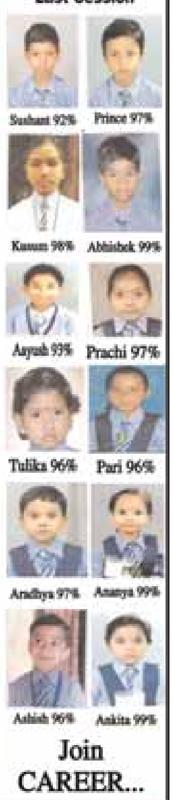

Join CAREER...

Major Facts

1/ Well Qualified Teachers....
2/ A perfact ratio of Techers and Students regarding classes...
3/ Complete Caring Atmosphere.
4/ Good and Equipped Class rooms....
5/ Value based education like daily classes for Logical Maths, G.K.,English Grammar....
6/ CCTV equipped School...
7/ Scientific and Cultural Activities Every Saturday....
8/ And above all Attention on Each and Every Student of the School....

CAREER SCHOOL ENGLISH MEDIUM BEHIND STADIUM STREET RAIGARH C.G. 07762-221359

तत्काल आवश्यकता है

न्यायसाक्षी समाचार-पत्र हेतु कम्पयूटर ऑपरेटर, सर्वे करने के लिए, बंडल कार्य हेतु, एवं रिपोर्टर/संवाददाता रायगढ़ एवं जशपुर जिले के लिए तत्काल चाहिए ... संपर्क करें...

न्यायसाक्षी समाचार-पत्र
स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़ छ.ग.
मो. नं. 9039961090

ऑफसेट प्रिंटिंग - न्यूज पेपर प्रिंटिंग

वेस्ट जर्मनी की ऑफसेट मशीन *हेडलबर्ग* से 4 कलर की सभी तरह की प्रिंटिग होती है। प्रिंटिंग जॉब हेतु सम्पर्क करें....

न्यायसाक्षी प्रिंटर्स एण्ड प्रेस
श्रीराम कॉलोनी, स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़ छ.ग. मो. नं. 9589876400

न्यायसाक्षी समाचार- पत्र की

खरसिया, सारंगढ़, पुसौर, मनार, घरघोड़ा, धरमजयगढ़, पत्थलगांव लुड़ेग, कांसाबेल, कुनकुरी, जशपुर एवं आसपास के क्षेत्रों में एजेंसी देना है, तत्काल संपर्क करें।

स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़, छ.ग. संपर्क करें मो.नं. 9039961090

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com RNI NO :- CHHHIN/2018/76480